न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी

परिवाद संख्या–3477 / 2018

लवकेश कुमार बनाम सुनील कुमार आदि

02.01.2019

पत्रावली आज तलबी के बिन्दु पर आदेशार्थ नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि पर सुना जा चुका है। आदेश पारित करने हेतु पत्रावली व धारा 200 एवं 202 दं0प्र0सं0 का परिशीलन किया।

उक्त परिवाद परिवादी की ओर से इस आशय से प्रस्तुत किया है कि विपक्षीगण द्वारा परिवादी के साथ घर में घुस कर मार पीट किया गया, गाली गलौज कर अपमानित किया गया एवं जान से मारने की धमकी दिया गया है।

परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में धारा–200 दं0प्र0सं0 में स्वंय का एवं धारा 202 दं0प्र0सं0 में पी0डब्लू0–1 बिल्लोश चन्द्र, पी0डब्लू0–2 कृपा शंकर व पी0डब्लू0–3 अमित कुमार का बयान अंकित कराया है। जिन्होने परिवादी के कथनों का समर्थन करते हुए कहा है कि विपक्षीगण द्व ारा परिवादी के साथ घर में घुस कर गाली गलौज करते हुए मारा पीटा गया एवं जान से मारने की धमकी दिया गया कहा गया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि परिवादी के परिवाद पत्र एवं साक्षियों के साक्ष्य से विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत मामले में परिवादी के साथ घर में घुस कर मार पीट करने, गाली गलौज करने एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने की पुष्टि होती है। अतः न्यायालय के मत से विपक्षीगण सुनील कुमार, हरवंश कुमार, अनिल कुमार, दिलीप कुमार, रजनीश कुमार, मधुकर पाण्डेय, नेमराज पाण्डेय, विद्याचारण, वरूण कुमार, रोहित कुमार, धनंजय कुमार, राहुल कुमार व अंश कुमार के विरूद्ध धारा–452, 325, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 का अपराध प्रथम दृष्टया गठित होना पाया जाता है।

आदेश

विपक्षीगण सुनील कुमार, हरवंश कुमार, अनिल कुमार, दिलीप कुमार, रजनीश कुमार, मधुकर पाण्डेय, नेमराज पाण्डेय, विद्याचारण, वरूण कुमार, रोहित कुमार, धनंजय कुमार, राहुल कुमार व अंश कुमार के विरूद्ध धारा–452, 325, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अधीन अपराध कारित करने का संज्ञान लिया जाता है। धारा 204 दं0प्र0सं0 का अनुपालन करने के पश्चात विपक्षीगण को समन जारी हो।

पत्रावली विपक्षी की उपस्थिति हेतु दि0 02.02.2019 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।